

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 56/2011/श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, (प्रतिकरापवंचन), श्रीगंगानगर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नटराज फ्लोर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, श्रीगंगानगर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन. एस. राठौड़,अपीलार्थी की ओर से.

उप राजकीय अभिभाषक


श्री सुरेश ओझा, अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30/4/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 341/आरवेट/श्रीगंगा/08-09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.6.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में वैट चुकाकर गेहूं क्रय की जाकर, उससे कर योग्य आटा, मैदा व सूजी का निर्माण कर विक्रय किया जाता है तथा इस विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित चौकर (पशु आहार) का करमुक्त विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 की चतुर्थ तिमाही के लिये अधिनियम की धारा 25, 18, 55, 58 व 65 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 6.1.2009 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट में से चौकर की कर मुक्त बिक्री के अनुपात में देय आई.टी.सी. में कमी करते हुए रिवर्स टैक्स रूपये 25,954/-, धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 5,397/- एवं धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति रूपये 51,908/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर, वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मै० दुर्गेश्वरी फूड लिमि०, श्रीगंगानगर में पारित किये गये

 लमातार.....2

निर्णय दिनांक 13.3.2009 से पूर्णतया आच्छादित होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2010 से व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, शास्ति व ब्याज अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विभाग द्वारा माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590–591/2008 / श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित करमुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में गेहूं की खरीद पर कलेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से करमुक्त माल चौकर की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर वेट चुकाकर गेहूं का क्रय किया जाकर इसका आटा, मैदा व सूजी निर्माण में उपयोग किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया में चौकर एक आवश्यक बाई-प्रोडक्ट है। व्यवहारी द्वारा आटा, मैदा व सूजी विनिर्माण में प्रयुक्त गेहूं के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधिनुसार कलेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गेहूं से निर्मित करमुक्त चौकर की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति आरोपित किये जाने में

लगातार.....3

विधिक त्रुटि की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर के अभिनिर्णय दिनांक 13.3.2009 के आलोक में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में आरोपित रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति को उचित रूप से अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दौराने बहस विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय के पैरा संख्या 20, 21 व 22 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.


लगातार.....4

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को करमुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया जाकर व्यवहारी की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं इसके रिटर्न अथवा विशिष्टियां जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अनुचित मानकर इस सीमा तक कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है।

परिणामतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त (2010) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.6.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स रूपये 25,954/- एवं ब्याज रूपये 5,397/- की पुष्टि करते हुए यथावत बहाल (Restore) किये जाते हैं, जबकि अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 51,908/- को अपास्त किये जाने की सीमा तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)

सदस्य
30/4/11